इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373] भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 अगस्त 2014—भाद्र 1, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्र. 4806-215-इक्कीस-अ-(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिसपर दिनांक 22 अगस्त, 2014 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०१४

मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम , २०१४

[दिनांक २२ अगस्त, २०१४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २३ अगस्त, २०१४ को प्रथमबार प्रकाशित की गई].

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

भाग-३ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के भाग-३ के स्थान पर, निम्नलिखित भाग स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"भाग-३

स्थावर संपत्ति के अंतरण पर उपकर

परिभाषाएं.

८. इस भाग में, पद "स्थावर संपत्ति" का वही अर्थ होगा जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, १८८२ (१८८२ का ४) में उसके लिए दिया गया है.

स्थावर संपत्ति के अंतरण पर उपकर का उद्ग्रहण.

९. (१) विक्रय, दान, भोग बंधक या तीस वर्ष या अधिक की कालावधि के पट्टे के माध्यम से स्थावर संपत्ति के अंतरण पर इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार उपकर प्रभारित किया जाएगा, उद्गृहीत किया जाएगा तथा संदत्त किया जाएगा:

परंतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) के अधीन की छूट, यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम के अधीन उपकर के संबंध में उसी सीमा तक लागू होंगी जिस सीमा तक कि वे उस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क को इस प्रकार लागू होती हो मानो कि उपकर उस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क हो.

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रभारित और उद्गृहीत उपकर स्थावर संपत्ति के अंतरण की लिखत के रजिस्ट्रीकरण के साथ चुकाया जाएगा और वसूल किया जाएगा. उपकर के भुगतान को, अंतरण के विलेख पर, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) के अधीन जारी किए गए स्टाम्प चिपकाकर दर्शाया जाएगा.

(३) उपकर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसके द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) के अधीन स्टाम्प शुल्क देय है.

(४) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसके अधीन कोई अधिकारी किसी दस्तावेज को तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा जब तक कि उपधारा (१) के अधीन प्रभारित और उद्गृहीत उपकर पूर्णत: न चुका दिया गया हो.

(५) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) की धारा ४८ के उपबंध इस भाग के अधीन उपकर की वसूली पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे इस अधिनियम के अधीन शुल्क एवं शास्तियों की वसूली पर लागू होते हैं.

(६) उपकर के आगम ग्रामीण विकास विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उपयोजित किये जायेंगे.

३. मूल अधिनियम की धारा १४ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:— **अनुसूची का अंत: स्थापन.**

"अनुसूची

लिखतों पर उपकर

[धारा ९ (१) देखिये]

अनुक्रमांक (१)	लिखतों का विवरण (२)	सम्पत्ति का विवरण (३)	उपकर (४)
१	विक्रय, दान, भोग बंधक या तीस या अधिक वर्ष की कालावधि के लिए पट्टा	स्थावर सम्पत्ति के अंतरण पर	स्टाम्प शुल्क की उस रकम के, जिससे कि ऐसे अंतरण की लिखत भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) की अनुसूची १-क के सुसंगत अनुच्छेद के अनुसार प्रभार्य है, २.५ प्रतिशत की दर से.".

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्र. 4807-215-इक्कीस-अ (प्रा.) अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 15 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 15 OF 2014

THE MADHYA PRADESH UPKAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2014

[Received the assent of the Governor on the 22nd August, 2014; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 23rd August, 2014].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. For Part III of the Madhya Pradesh Upkar Adhiniyam, 1981 (No. 1 of 1982) (hereinafter referred to as the principal Act), the following Part shall be substituted, namely :— **Substitution of Part III.**

"PART III

CESS ON TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY

Definition.

8. In this part, the term "immovable property" shall have the same meaning as assigned to it in the Transfer of Property Act, 1882 (IV of 1882).

Levy of cess on transfer of immovable property.

9. (1) There shall be charged, levied and paid a cess as per Schedule appended to this Act on transfer of immovable property by way of sale, gift, usufructuary mortgage, or lease for a period of thirty years or more:

Provided that exemptions under the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899) shall, mutatis mutandis apply to the same extent in relation to the cess under this Act as they apply to duty chargeable under that Act as if the cess were a duty chargeable under that Act.

(2) The cess charged and levied under sub-section (1) shall be paid and recovered alongwith the registration of instrument of transfer of immovable property. The payment of the cess, shall be denoted on the instrument of transfer by affixing stamps issued under the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899).

(3) The cess shall be payable by the person by whom the stamp duty under the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), is payable.

(4) Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 (XVI of 1908), no officer thereunder shall register any document unless the cess charged and levied under sub-section (1) is paid in full.

(5) The provisions of Section 48 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899) shall apply to recovery of cess under this Part as they apply to recovery of duties and penalties under this Act.

(6) The proceeds of the cess shall be applied to rural development specially for providing employment in rural areas.".

Insertion of schedule.

3. After Section 14 of the principal Act, the following Schedule shall be inserted, namely :—

"SCHEDULE

Cess of Instruments

[See section 9(1)]

S. No. (1)	Description of instruments (2)	Description of Property (3)	Cess (4)
1.	Sale, gift, usufructuary mortgage, or lease for a period of thirty years or more	On transfer of immovable property	At the rate of 2.5 percentum of the amount of stamp duty with which instrument of such transfer is chargeable in accordance with the relevant article in Schedule 1-A of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899).".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.